



# ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या - 01, सैक्टर - नॉलेज पार्क - 04,  
ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला - गौतमबुद्ध नगर - 201310

पत्रांक : ग्रेटर नोएडा / सम्पत्ति / 2017/6050  
दिनांक : 02/11/2017

## निरस्तीकरण पत्र

सेवा में,

Sh. Manish Kumar  
S/o Sh. Trilok Chand Banderwal  
HNo.194, Pocket-B7,  
Sector-4, Rohini,  
New Delhi-110085

विषय : भवन संख्या 4SF, ब्लाक 258, सैक्टर MU-II, क्षेत्रफल 29.76 वर्गमीटर के आवंटन निरस्तीकरण / जब्तीकरण किये सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की विल्टअप हाउसिंग योजना-BHS-16/2013 दिनांक 02.04.13 को लायी गयी जिसके अर्न्तगत ड्रा के माध्यम से आवेदन संख्या 35815, क्षेत्रफल 29.76 वर्गमीटर पंजीयन धनराशि ₹ 80,000.00 जमा कराते हुये आवेदन किया गया। योजना के ड्रा में सफल होने की दशा में सफल आवेदक होने के कारण प्राधिकरण द्वारा आपके पक्ष में भवन संख्या 4SF, ब्लाक 258, सैक्टर MU-II, क्षेत्रफल 29.76 वर्गमीटर का आवंटन पत्र दिनांक 18.09.2013 को निर्गत किया गया।

प्राधिकरण द्वारा आपके पक्ष में जारी आवंटन के अनुसार आवंटन धनराशि के रूप में देय धनराशि ₹ 1,45,600.00 दिनांक 02.11.2013 तक जमा करायी जानी थी जोकि आपके द्वारा नियत तिथि पर जमा नहीं किया गया। आवंटन पत्र में आवंटन धनराशि जमा ना किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत स्पष्ट उल्लेख किया गया था :-

“Allotment Money shall be payable within 45 days from the date of allotment. In case the allottee fails to deposit the allotment money within 45 days from date of allotment, mentioned as the due date of deposit above, the allotment will be liable for cancellation and the money deposited till the date of cancellation will be forfeited.

The Cancellation terms as per Clause K of the brochure shall be applicable”

आवंटन पत्र के अनुसार देय आवंटन धनराशि का भुगतान दिनांक 02.11.2013 तक किया जाना था जोकि आपके द्वारा वर्तमान तक नहीं किया गया। आवंटन धनराशि जमा ना होने की दशा में आपके पक्ष में जारी आवंटन निरस्तीकरण श्रेणी में आ गया है।

BHS-16/2013 योजना के बोशर में आवंटन निरस्तीकरण के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख है :-

## के - निरस्तीकरण

निरस्तीकरण के अन्य उल्लिखित प्रस्तरों के अतिरिक्त, प्राधिकरण/पट्टादाता, अधोलिखित स्थितियों में पट्टा प्रलेख/ आवंटन को निरस्त करने हेतु अपने अधिकारों का उपयोग करने में स्वतंत्र होगा :-



# ग़र नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट संख्या - 01, सेक्टर - नौलेन पार्क - 04,  
ग़र नोएडा सिटी, जिला - गौतमबुद्ध नगर - 201310

फांका : ग़र नोएडा / सप्त / 2017/6050  
दिनांक : 02.11.2017

“के - 3 : आवेदक / आवंटी / पट्टाधारक द्वारा पत्नीकरण / आवंटन/ पट्टे की नियम व शर्तों के तोड़ने / उल्लंघन करने और / अथवा आवंटन रशि जमा न करने पर।”

उपरोक्त के उप पस्तर ( 1, 2 व 3 ) के अन्तर्गत, निस्तीकरण की दशा में, निस्तीकरण की तिथि तक जमा समस्त रशि जब कर ली जायेगी और खण्ड मय दंडों के, यदि कोई है, तो प्राधिकरण / पट्टादाता द्वारा कब्जे में ले ली जायेगी, और आवंटी / पट्टाधारक को इसकी प्रतिपूर्ति मांगने का कोई अधिकार नहीं होगा।

आवंटन पत्र में उल्लिखित दैय आवंटन धनरशि जमा ना किये जाने की दशा में ग़र का कर्त्तव्य “के - 3 : आवेदक/आवंटी/पट्टाधारक द्वारा पत्नीकरण/आवंटन/ पट्टे की नियम व शर्तों के तोड़ने/उल्लंघन करने और/अथवा आवंटन रशि जमा न करने पर।”, लागू हो जाता है।

अतः ग़र का कर्त्तव्य “के - 3 के आधार पर आवंटन रशि जमा न करने की दशा में ग़र के उप पस्तर (3) के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा आपके पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 18.09.13 को मुख्य कार्यालयक अधिकारी महोदय के अग्रिमोदन दिनांक 31.10.2017 के कम निरस्त जाता है तथा आवंटन के विरुद्ध दिनांक तक जमा की गयी समस्त धनरशि प्राधिकरण पक्ष में जब की जाती है।

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक (वित्त / सिस्टम) के अवलोकनायक.

प्रबन्धक - 1 (सप्त)

प्रबन्धक - 1 (सप्त)

31/11/17

भवदीय